उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तषासी निकाय, विष्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)
हर्रावाला, देहरादून – 248001
दूरभाश : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : पदवि/ नंनणंबणपद

पत्रांक : 1730/ उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2016–17 दिनांक : 12/9/2017

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

आयुष विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या : R-13011/17/2015-EP(IM-1) एवं R-14011/10/2015-EP(IM-1) दिनांक 05.12.2016 एवं विश्वविद्यालय के कार्यकारी आदेश संख्या 3450/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2016–17 दिनांकित 08.12.2016 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट/संस्तुति के कम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यकम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क0 सं0	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यकम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
1	पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान पंतजलि योगपीठ हरिद्वार उत्तराखण्ड	बी0ए0एम0एस0	100 सीट	शैक्षणिक सत्र 2016–17 (एक वर्ष) हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण
		एम0डी0/एम0एस0	40 सीट (आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत – 05 किया शरीर – 05 द्रव्यगुण –05 रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना –05 कायचिकित्सा–05 शल्य–05 शालक्य तंत्र–05 पंचकर्मा– 05)	

2. संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।

3. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

4. संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

5. छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

7. संस्थान में कार्यरत फेकल्टी एवं कर्मचारियों के सदस्यों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से कास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

8. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

9. पाठ्यकम क संबंध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यस्था के संबंध में समय–समय पर पुष्टि विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

10. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के संबंध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्था द्वारा उसका पालन भी किया जाना होगा।

11. संस्थान द्वारा तीन माह के अन्तर्गत उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है इस संबंध में विश्वविद्यालय को एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्यथा आगामी वर्ष में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

12. संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक सत्र 2016–17 के बी0ए0एम0एस0 हेतु प्रकियात्मक शुल्क रू0 1,00,000 एवं एम0डी0/एम0एस0 हेतु सम्बद्धता शुल्क रू0 5,00,000 विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगा।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड)
कुलसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. प्राचार्य/अधीक्षक, पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार उत्तराखण्ड गार्ड फाईल।
9. गार्ड फाईल।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड)
कुलसचिव।